

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./05/08/2702

भोपाल,दिनांक 29/09/2008

/आदेश/


शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्रं.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
1.	श्री इन्द्र कुमार शर्मा, प्र.अ.शा.हाईस्कूल सुखदास वि.खं.मानपुर	उमरिया	जबलपुर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले को वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

निरंतर...2...

- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार।




सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 29/09/2008

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./05/08/2703

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. निज सचिव, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. कलेक्टर.जिला- उमरिया एवं जबलपुर म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- उमरिया एवं जबलपुर म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभागीय कार्यालय, संभाग-रीवा एवं जबलपुर म.प्र.।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उमरिया एवं जबलपुर म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- उमरिया एवं जबलपुर म.प्र.।
11. संबंधित- श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./14/08/2678

भोपाल,दिनांक 26/09/2008

/आदेश/


शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका 12.2 में निहित निर्देश के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा कॉलम क्रं.-2 में उल्लेखित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है:-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
1	श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह,सहा.शि.शा.प्रा. पाठशाला भूर्तिया टोला,ज.शि.के.हाईस्कूल नेकहवा	सीधी (सिंगरौली)	रीवा

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कण्डिका-9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश है। अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये।

निरंतर...2...

- 8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ति उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार।



सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./14/08/2679
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26.09/2008

1. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय-भोपाल।
 2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 3. निज सचिव, मान.राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
 5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
 6. कलेक्टर, जिला-सीधी(सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
 7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला- सीधी(सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
 8. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय, संभाग, रीवा म.प्र.।
 9. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सीधी(सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
 10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला- सीधी(सिंगरौली) एवं रीवा म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
11. संबंधित- श्री/श्रीमती/सुश्री.....

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश